न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2024-105RAAJodhpur2024-32RTA225 Badriram ors Vs State of Rajasthan etc

1. बद्रीराम पुत्र स्व. श्री शिवराम के कायम मुकामः -
   1.1. श्रीमती पप्पू देवी पत्नी स्व. श्री बद्रीराम
   1.2. घनश्याम जांगिड़ पुत्र स्व. श्री बद्रीराम
   1.3. अशोक जांगिड़ पुत्र स्व. श्री बद्रीराम
   1.4. धीरज पुत्र स्व. श्री बद्रीराम
   1.5. मुरलीधर पुत्र स्व. श्री बद्रीराम
   1.6. सुभाष पुत्र स्व. श्री बद्रीराम
   1.7. श्याम सुन्दर पुत्र स्व. श्री बद्रीराम
2. ओमाराम पुत्र स्व. श्री शिवराम
   जातियान् सुथार, निवासीगण- ग्राम बावरला, तहसील व जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर, जिला जोधपुर।
2. भीकाराम पुत्र स्व. श्री रामूराम
3. सत्यनारायण पुत्र स्व. श्री रामूराम
   सभी जातियान् सुथार, निवासीगण- बावरला, तहसील व जिला जोधपुर।
4. पूनाराम जांगिड़ पुत्र श्री हरचन्दराम जांगिड़, जाति सुथार, निवासी- 132 सेक्टर-जी, शास्त्रीनगर, जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 15 फरवरी 2024 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, (दक्षिण) जोधपुर, राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 03/2023 बद्रीराम व अन्य बनाम राजस्थान सरकार इत्यादि

उपस्थित-
श्री पवन प्रकाश, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री दयाराम चौधरी राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या एक
श्री हरीश जांगिड, श्री एम.एस. राजुरोहित अधिवक्ता-रेस्पो.संख्या 03 व 04

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नि र्ण य

13-12-2024

दिनांक : 13 दिसंबर 2023

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (दक्षिण) जोधपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 03/2023 बद्रीराम व अन्य बनाम राजस्थान सरकार इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 15 फरवरी 2024 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 23 फरवरी 2024 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अपने खातेदारी खेत खसरा नं. 717/1 व 717/2 कुल रकबा 16.12 बीघा ग्राम बावरला तहसील जोधपुर में आने-जाने हेतु रेस्पो. /अप्रार्थीगण के खातेदारी खसरा नं. 717 में से 30 फीट चौड़ा रास्ता चाहा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा तहसीलदार जोधपुर से मौका जांच रिपोर्ट तलब की गई। अप्रार्थीगण द्वारा मौका रिपोर्ट पर आपत्ति पेश किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा पुनः मौका जांच रिपोर्ट मंगवायी गई। तत्पश्चात विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 15 फरवरी 2024 के जरिये प्रार्थीगण/अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट्स के आवागमन हेतु खसरा नं. 717 में सें ही लघुतम एवं निकटतम रास्ता है, जिसकी ताईद विचारण न्यायालय द्वारा तलब मौका रिपोर्टो से होती है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए के विचाराधीन रहते रेस्पोडेंट्स को खसरा नं. 717 में अपीलांट्स के आवागमन को बाधित नहीं किये जाने तथा मौके पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

रास्ता चालू रखे जाने हेतु भी पाबंद किया था। विचारण न्यायालय के उक्त आदेश को माननीय न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल द्वारा भी बहाल रखा गया तथा खसरा नं. 717 में चालू रास्ते को बंद नहीं किये जाने क विचारण न्यायालय के आदेश की पुष्टि की गई। विचारण न्यायालय द्वारा तलब प्रथम मौका रिपोर्ट दिनांक 08.06.2023 जो वैधानिक रुप से सभी सहखातेदारों, पक्षकारों व पड़ौसी खातेदारो के रुबरु तैयार की गई, जिस पर सभी के हस्ताक्षर है। उक्त मौका फर्द में अपीलांट्स के आवागमन हेतु खसरा नं. 717 में से ही लघुतम एवं निकटतम रास्ता बताया गया है तथा अपीलांट्स के आवागमन हेतु मौके पर कोई अन्य रास्ता नहीं बताया गया है। उक्त मौका रिपोर्ट पर किसी ने भी उस समय कोई उज्र ऐजराज बाबत कथन नहीं किया, उसके उपरांत भी विचारण न्यायालय ने पुनः अकारण उन्ही अधीनस्थ कर्मचारियों से नई मौका रिपोर्ट दिनांक 09.01.2024 को तलब की गई, जो आई.एल. आर. डांगियावास द्वारा भौतिक स्थिति एवं वास्तविक स्थिति के विपरीत जाकर दिनांक 23.01.2024 को मौका फर्द तैयार की गई, जो बिना पक्षकारान्/सहखातेदारान् को सूचित किये गये तैयार की गई है। प्रथम मौका रिपोर्ट भी उसी आई.एल.आर. द्वारा तैयार की गई, जिसमें अपीलांट्स के आवागमन हेतु खसरा नं. 717 के अलावा मौके पर अन्य कोई रास्ता नही बताया गया, किंतु द्वितीय मौका फर्द जो पक्षकारान् की अनुपस्थिति में उसी आं.एल.आर. द्वारा तैयार की गई, जिसमें वैकल्पिक रास्ता होना बता दिया गया, जो परस्पर विरोधी कथन है। उक्त मौका रिपोर्ट अप्रार्थीगण के कहे अनुसार तैयार की गई है जो अपास्त योग्य है। दौराने बहस वकील अपीलांट्स ने निवेदन किया अपीलांट्स की खातेदारी भूमि मूल खसरा नं. 717 का ही भाग है, जिसके मूल खातेदार के देहांत के पश्चात राजस्व रेकर्ड में उनके उतराधिकारियों का नाम दर्ज हुआ है तथा उसी अनुरुप खसरे की तरमीम की जाकर खसरा नं. 717, 717/1, 717/2, भाई बंट अनुसार तरमीम की गई है तथा अपनी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

सुविधा अनुसार उपरोक्त भाई बंट के खसरों में से होकर मुख्य मार्ग खसरा नं. 718 पर आने-जाने हेतु उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। उक्त रास्ते के आलामात अनुसार प्रथम मौका रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसके विपरीत जाकर मिलीभगती से द्वितीय रिपोर्ट तैयार की जाकर अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। तहसीलदार जोधपुर द्वारा अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 02.02.2024 के पैरा संख्या 10 में खसरा नं. 712/1 का आंकलन कर उक्त खसरे का गलत रूप से वर्णन किया है, क्योंकि खसरा नं. 712/1 का प्रार्थीगण से कोई संबंध नहीं है तथा गलत तरीके से वर्णन किया गया है। खसरा नं. 717 में रास्ते की दूरी 41 गट्टा अंकित की गई है वो भी बढा-चढाकर अंकित की गई है। अपीलांट्स के आवागमन हेतु खसरा नं. 717 की माठ के सहारे-सहारे मात्र 30 फीट दूरी का रास्ता कायम किया जाता है तो मात्र 4 बिस्वा भूमि ही रास्ते के रूप में काम आयेगी। ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट विधि-विरुद्ध होने से मानने योग्य नहीं है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (दक्षिण) जोधपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 03/2023 बद्रीराम व अन्य बनाम राजस्थान सरकार इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 15 फरवरी 2024 को खारिज फरमाया जावे एवं अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

रेस्पो. संख्या एक की ओर से विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

जबाब में अधिवक्तागण रेस्पो. सख्या तीन व चार के अधिवक्ता ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया अपीलांट्स के आवागमन हेतु मौके पर खसरा नं. 715 में होते हुए देवलिया जाने वाले

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

वाले कदीमी रास्ता खसरा नं. 718 से आवागमन करता है, जिसकी पुष्टि मौका फर्द से होती है। अपीलांट्स के आवागमन हेतु मौके पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने से धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत नवीनं रास्ता नहीं दिया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की सुनवाई के आधार पर मौके पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने से अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र खारिज किय जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे। रेस्पोडेंट्स अधिवक्तागण द्वारा अपनी बहस के समर्थन में 2014(10)आर.आर.टी. पेज 40 की न्यायिक नजीर पेश की।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रथम मौका फर्द दिनांक 08.06.2023 के अवलोकन से प्रकट होता है कि **खसरा नं. 717/1 एवं 717/2 के कोई कटाणी रास्ता नहीं लगता है।** खसरा नं. 717/1 व 717/2 के सर्वाधिक निकट कटाणी रास्ता खसरा नं. 718 रकबा 0.13 बीघा किस्म गैर मुमकिन सड़क पड़ता है जो सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज है। उक्त मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि अपीलांट्स आपसी सहमति से अपने आवागमन हेतु इसी रास्ते (मार्क ए से जी) का पिछले 50 वर्षों से उपयोग कर रहे है, लेकिन पिछले तीन वर्षो से मार्क जी से डी तक ही रास्ता चल रहा है एवं आगे रास्ता अवरुद्ध है। खसरा नं. 717/1 में आने-जाने वाला रास्ता जो मार्क ए से बी कुछ समय से बंद है। अपीलांट्स द्वारा अपने आवागमन हेतु मार्क एक्स से वाई रास्ता चाहा है, लेकिन पक्षकार सहमत नहीं है। उक्त मौका रिपोर्ट पर अपीलांट, रेस्पोडेंट संख्या दो के पुत्र बाबुलाल, एवं रेस्पोडेंट संख्या तीन सत्यनारायण सहित मौके पर उपस्थिति अन्य मौतबिरान् के हस्ताक्षर है।

तहसीलदार जोधपुर द्वारा अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 28.07.2023 में भी अपीलांट्स के खेत में आवागमन हेतु सबसे नजदीकतम

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

रास्ता **बिंदु एक्स से वाई तक खुलवाया जाकर अपीलांट्स को राहत दिये जाने का सुझाव दिया** है तथा दूसरा विकल्प मार्क एच.आई.जे. रास्ता भी खसरा नं. 717 की सीमा के सहारे-सहारे उपलब्ध होना बताया है।

खसरा नं. 717 में सें निकटतम रास्ते के तथ्य को मध्यनजर रखते हुए विचारण न्यायालय द्वारा अंतरिम अस्थाई व्यादेश पारित कर **रेस्पोडेंट्स को खसरा नं. 717 में चालू रास्ते को बंद नहीं किये जाने हेतु पाबंद किया है,** जिसके विरुद्ध रेस्पोडेंट्स द्वारा अदालत हाजा एवं माननीय मण्डल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। **अदालत हाजा एवं माननीय मण्डल की एकलपीठ द्वारा भी खसरा नं. 717 में सें अपीलांट्स के आवागमन हेतु निकटतम रास्ता मानते हुए विचारण न्यायालय के आदेश को जायज ठहराया गया है,** जिससे साबित है कि खसरा नं. 717 में सें ही अपीलांट्स के आवागमन हेतु लघुतम एवं निकटतम रास्ता दिया जा सकता है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उक्त तथ्यों के मौजूद रहते विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 09 जनवरी 2024 को तहसीलदार जोधपुर से दुबारा मौका रिपोर्ट तलब की गई जो आई.एल.आर. डांगियावास द्वारा दिनांक 02.02.2024 को तैयार किया जाना पाया जाता है। उक्त मौका जांच के पद संख्या दो में लिखा गया है कि ''प्रार्थी वर्तमान में अपने खेत में आवागमन हेतु देवलिया से बावरला गैर मुमकिन रास्ता से होते हुए बीच में अन्य खसरों की भूमि से होते हुए आम सहमति से कदीमी रास्ते से होते हुए अपने अन्य खेत खसरा नं. 715 में से जो खसरा नं. 717/1 से लगता है, आवागमन कर रहा है।'' आई.एल.आर. द्वारा उक्त रास्ते को निकटतम बताया तथा आम सहमति से कदीमी रास्ता उपलब्ध होना बताया है। साथ ही उक्त रिपोर्ट में अपीलांट द्वारा चाहे गये रास्ते की दूरी 41 गट्ठा एवं चौड़ाई 3 गट्ठा अनुसार रास्ते के रूप में भूमि का रकबा 00.06.03 बीघा बताया गया है। तहसीलदार जोधपुर द्वारा उक्त रिपोर्ट पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नही करते हुए सीधे ही विचारण

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

न्यायालय को भिजवाया जाना पाया जाता है। यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त मौका रिपोर्ट पर किसी भी पक्षकार अथवा मौतबिरान् के हस्ताक्षर मौजूद नहीं है, जिससे उक्त मौका फर्द संदेहास्पद प्रतीत होती है।

उक्त दोनो मौका जांच फर्दो के अवलोकन से प्रतीत होता है कि दोनो रिपोर्ट्स एक ही भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार की गई है। **प्रथम रिपोर्ट दिनांक 08.06.2023 जो उभय पक्ष में उपस्थिति में तैयार की गई है, उसमें प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता मार्क एक्स से वाई एकमात्र विकल्प ही बताया गया है। तथा मौके पर अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होना बताया है।** द्वितीय रिपोर्ट दिनांक 19.01.2024 जो पक्षकारान् की अनुपस्थिति में तैयार की गई है, उसमें पक्षकारान् की सहमति से मौके पर चलने वाला वैकल्पिक रास्ता बता दिया, जिससे प्रथमदृष्टया यह प्रतीत होता है कि रेस्पोडेंट्स द्वारा रास्ता बंद कर दिये जाने से अपीलांट्स द्वारा अन्य पड़ौसी खातेदारान् की भूमि से चलना शुरू किया हो एवं आई.एल.आर. द्वारा उसे वैकल्पिक रास्ता बता दिया गया हो।

उपलब्ध अभिलेख से स्पष्ट है कि मूल खसरा नं. 717 बट्टा नंबरान् में विभाजित होकर खसरा नंबर 717, 717/1 एवं 717/2 के रूप में राजस्व रेकर्ड में अलग-अलग दर्ज हुआ है। पक्षकारान् द्वारा उसी समय रास्ते का प्रावधान रखा जाना चाहिए। उपरोक्त तथ्यों से प्रकट होता है कि **रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु खसरा नं. 717 में से मार्क एक्स से वाई रास्ता ही लघुतम एवं निकटतम रास्ता है जो धारा 251-ए की मंशानुरूप दिया जाना उचित है।** विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों को नजर अंदाज करते हुए अपीलाधीन आदेश के जरिये अपीलांट्स को प्रार्थना पत्र खारिज किया जो अदालत हाजा की राय में विधिसम्मत नहीं होने से अपीलाधीन आदेश संमर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपखण्ड अधिकारी (दक्षिण) जोधपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 03/2023 बद्रीराम व अन्य बनाम राजस्थान सरकार इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 15 फरवरी 2024 को निरस्त किया जाता है तथा अपीलांट्स के आवागमन हेतु मौका रिपोर्ट दिनांक 08 जून 2023 के अनुसार खसरा नं. 717 में सें दर्शित रास्ता मार्क एक्स से वाई 3 गट्ठा चौड़ाई अनुसार गैर मुमकिन रास्ता घोषित किया जाता है। तहसीलदार जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि 3 गट्ठा चौड़ाई अनुसार खसरा नं. 717 में सें रास्ते के रकबे की गणना कर रास्ते के रूप में काम आने वाले भूमि के रकबे की डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि अपीलांट्स से प्राप्त कर खसरा नं. 717 के खातेदारान्/ रेस्पोडेंट्स को अदा कर कर राजस्व रेकर्ड में राज्य सरकार के पक्ष में गैर मुमकिन रास्ते का अमल दरामद करते हुए तरमीम अंकित करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर